राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.4(1)साप्र/5/2014 जयपुर, दिनांकः 15-12-14

आदेश

ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर का आवंटन इस विभाग के दिशा–निर्देश संख्या एफ. 7(2)साप्र/5/06 दिनांकः 27.10.06 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता हैः–

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरूद्ध ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. ट्रांजिट हॉस्टल के आवास में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण–पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जावेगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. समय–सयम पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्त भी मान्य होगी।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम मय विभाग	वरियता संख्या	ग्रेड पे	आवास संख्या
1	श्री सोमकान्त भोजक, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान	07/2014	9000/–	एफ–1/4 एन0टी0एच0
2	श्री रतन लाल उदय, विशेषाधिकारी (तकनीकी) खान एवं पैट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	08/2014	8700/–	जी–1/4 एन0टी0एच0
3	डॉ0 अभिषेक पंवार, रेजिडेंट डॉक्टर, जनरल सर्जरी विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	46/2013	5400/–	क्वार्टर–14, ओ0टी0एच0
4	डॉ0 मातादीन मीणा, रेजिडेंट चिकित्सक, पैथॉलोजी विभाग, (इन सर्विस श्रेणी), एसएमएस, जयपुर।	47/2013	5400/–	क्वार्टर–19, ओ0टी0एच0

राज्यपाल की आज्ञा से–

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

Room No.1124 Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Tel.No.(D.S.)-0141-2227874/9414177555 (SO)9460408044 (Fax)-5116626,2227928
Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-arvind.kc@rajasthangov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जायेगा।
2. प्रन्बधक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि. से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी,सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. संबंधित अधिकारी।
6. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
7. सहायक प्रोग्रामर, सा0प्र0वि0, कृपया आवंटन पत्र एवं वरीयता सूची वेबसाईट पर डाले।
8. रक्षित पत्रावली।

//

शासन उप सचिव